भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
18.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 3856 का उत्तर

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण से कोयले के परिवहन द्वारा रेल राजस्व बढ़ाने की योजनाएं

3856. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण से अन्य राज्यों तक 2020-21 से अब तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रेल द्वारा ढोए गए कोयले की मात्रा कितनी है;

(ख) मुरगांव पत्तन प्राधिकरण से कोयला परिवहन के लिए अगले पांच वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28, 2028-29 और 2029-30 में रेल द्वारा बढ़ाया गया निर्धारित लक्ष्य क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेल की योजना उक्त प्राधिकरण से कोयले के परिवहन को विस्तारित करने/बढ़ाने की है; और

(घ) यदि हां, तो रेल द्वारा कोयले के परिवहन को बढ़ाने के लिए अवसंरचना को स्थापित करने/बढ़ाने के संदर्भ में क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): मुरगांव पत्तन विभिन्न राज्यों में रेल के माध्यम से कोयला, चूना पत्थर और जिप्सम का परिवहन करता है, जिसमें से कोयले का हिस्सा लगभग 70-75% है। मुरगांव

पत्तन से रेलवे द्वारा परिवहन किया गया कोयला (मिलियन टन में) निम्नानुसार है:

वर्ष	परिवहन किया गया कोयला (मिलियन टन)
2020-21	8.75
2021-22	8.82
2022-23	9.97
2023-24	9.88
2024-25 (नवंबर तक 2024)	5.4

मुरगांव पत्तन प्राधिकरण से प्राप्त कोयला/कोक अनुमान 2024-25 के लिए 9.90 मीट्रिक टन है, इसके बाद 2025-26 से 2029-30 तक सालाना 10.70 मीट्रिक टन होगा।

संपर्क माध्यम में सुधार के लिए, होसपेटे-हुबली-लोंडा-तिनईघाट-वास्को द गामा खंड (312 कि.मी.) को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। अब तक 261 किलोमीटर खंड पहले ही कमीशन किया जा चुका है। दिनांक 31.03.2024 तक परियोजना पर 2070.68 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। कुल 51 किलोमीटर लंबाई के शेष खंडों अर्थात् डस्की-कैसलरॉक, कैसलरॉक-कुलें (घाट खंड), कुलें-कुलें और कासांवली-सांकवाल-वास्को में कार्य शुरू किया गया है।

किसी रेल परियोजना का पूरा होना राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वानिकी स्वीकृतियां, लागत भागीदारी परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत में अपना हिस्सा जमा करना, परियोजनाओं की प्राथमिकता, अतिलंघनकारी

जनोपयोगी सेवाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूविज्ञानी और स्थलाकृतिक परिस्थितियां, परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

*****